

# कार्यवाही विवरण

अनुपालना के क्रमांक व दिनांक

पञ्जावली पी.सी.डी. वादी एवं पञ्जिल वादी को बार-बार रकत-रकत कराने के लिए अत्यासक्त समय तक भावाज लगाती गई, परन्तु इनसे और से कोई भी अत्यासक्त समय तक उपस्थित नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि वादी को अपने कर्तव्य से अक्षय नहीं है। फलस्वरूप बाद वादी अदम हाजरी व अदम पैरकी में खासिय किया जाता है। पञ्जावली फौजल सुमाट हाउस दर्ज नम्बर से कम से तथा बाद लक्ष्मीय जाया दायित्व दफ्तर है। निर्णय सुने अत्यासक्त में खुनाया गया।

ए.सी.ई.एम. (आ. दे.)  
नवलगाव

ए.सी.ई.एम. (आ. दे.)  
नवलगाव

इसका प्रमाणित किया गया है। इस पर निदेशक  
निदेशक के तहत कार्य है। निदेशक/आ. दे. के  
दिनांक 19/12/2021 को जारी किया गया

*[Handwritten signature]*

इसका प्रमाणित किया गया है। इस पर निदेशक  
निदेशक के तहत कार्य है। निदेशक/आ. दे. के  
दिनांक 19/12/2021 को जारी किया गया

